UPJS010052912022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित- ज़फ़ीर अहमद, एच०जे०एस०

JO Code No- UP6533

(CNR NO- UPJS01- 005291- 2022)

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2084/2022

जितेन्द्र उर्फ पन्ना लाल पुत्र रघुवीर निवासी नईबस्ती कस्वा व थाना समथर जिला झाँसी।

---------- अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार । ---------- अभियोजक।

एस०टी० नम्बर- ४/ २०१९

धारा- ४५२, ३०७, ५०४ भा०दं०सं०

थाना- समथर, जिला- झाँसी।

मु०अ०सं०- ११३/ २०१८

१७. १०. २०२२

१. सत्र परीक्षण सं०- ४/ २०१९, मु०अ०सं०- ११३/ २०१८, अन्तर्गत धारा - ४५२, ३०७, ५०४ भा०दं०सं० थाना समथर जिला झाँसी में निरूद्व अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ पन्ना लाल पुत्र रघुवीर की ओर से जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

२- आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, पीलिया हो जाने के कारण दिनांक २७. ०७. २०२१ को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया जिस कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारण्ट का आदेश पारित कर दिया गया। आवेदक द्वारा अधिवक्ता की फीस न दे पाने के कारण उसकी फाईल वापिस कर दी गयी। आवेदक / अभियुक्त दिनांक ४. १. २०२२ से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक भविष्य में हमेशा न्यायालय आता रहेगा और कोई गलती नहीं करेगा। जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। अतः उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

३- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

४- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता एवं आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

५- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है। सत्र परीक्षण में दिनांक २७. ०७. २०२१ को वास्ते साक्ष्य नियत थी। उक्त तिथि को अभियुक्त बीमार होने के कारण अनुपस्थित हो गया। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व बिना जमानती वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त दिनांक ०४. ०१. २०२२ से जेल में निरूद्व है। अभियुक्त द्वारा भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का कथन किया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थना पत्र में दर्शित आधार पर्याप्त है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अतः आवेदक/ अभियुक्त **जितेन्द्र उर्फ पन्ना लाल** पुत्र रघुवीर द्वारा प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक / अभियुक्त को **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी राशि की दो जमानतें व इस आशय की अण्डर टेकिंग सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर कि आवेदक/ अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। गबाहान को डरायेगा या धमकायेगा नही तथा विचारण में सहयोग करेगा। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(ज़फ़ीर अहमद)

दिनांकः १७. १०. २०२२ **सत्र न्यायाधीश,**

सुनील कुमार, स्टेनो। **झाँसी।**

Digitally signed by ZAFEER AHMAD
Date: 2022.10.17 17:05:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court